

न्यायालय अनुमण्डल दफ्तराधिकारी, खैरीमुहल्ला (गिरडीह)

वाफ सं० 57/2017  
कुलवा देवी - जनाम - सुरेश राय कौरह  
धारा 144 दे० प्र० सं०

आदेश फलक

01-9-17

अभिलेख उपस्थापित। धाना प्रभारी देवरी धाना से प्राप्त प्रतिवेदन पर सुनवाची करत हुए शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रश्नगत भूमि पर दे० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत उभय पक्षों के लिए निषेधाज्ञा लगायी गयी तथा कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है :-

मीजा:	खाना न०	प्लॉट न०	खेता
संख्यो	80	2256	46 डी०

चौदही: सुब-पुश्नी संख्ये सीमाना, दे० - हेकी राय  
पु० - शरमा पक्की सड़क, प० - टकन राय।


प्रथम पक्ष के और से कारण-पृच्छा दारिदल नहीं किया गया है।


द्वितीय पक्ष के और से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है त जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है।

अभिलेख का अवलोकन किया। मामला भूमि हिरसदारी बंटवारा नामा है संबंधित है। इसके लिए माननीय सहाय न्यायालय मान्य है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दफ्तरा  


  
अनुमण्डल दफ्तराधिकारी,  
खैरीमुहल्ला